न्यायालय उपखण्ड अधिकारी इटावा, जिला – कोटा, राज0
(बइजलास अंजना सहरावत आर.ए.एस.)

मिसल न0	तारीख दायरा	तारीख फैसला
64 / 2021	11 / 08 / 2021	10 / 08 / 2023

बउनवान

(1.) दयाराम पुत्र श्री गेन्दया, जाति–गूजर, निवासी–रनोदिया, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(2.) कंचन पुत्री श्री गेन्दया, जाति–गूजर, निवासी–रनोदिया, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(3.) धापू पुत्री श्री गेन्दया, जाति–गूजर, निवासी–रनोदिया, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(वादीगण)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज.

(प्रतिवादी)

वाद अर्न्तगत धारा– 88,89,188 आर. टी. एक्ट

निर्णय

वादी द्वारा उपरोक्त उनवान का वाद प्रस्तुत कर कथन किया कि–यह कि वादीगण के पिता स्व0 श्री गेन्दया पुत्र घांसी के खातेदारी व कब्जा काश्त में ग्राम–रनोदिया, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. में मुताबिक जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 पूर्व खसरा नम्बर–215 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर–1036 / 670 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि स्थित है। यह कि बाद सेटलमेन्ट संवत 2041 –2060 मुताबिक मिलान क्षेत्रफल गत खसरा नम्बर–215 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा के स्थान पर बाद सेटलमेन्ट हाल ख0न0 559 रकबा 0.59 है0 कायम किये गये तथा सेटलमेन्ट द्वारा गत खसरा नम्बर–1036 / 670 रकबा 10 बीघा के स्थान पर बाद सेटलमेन्ट कोई मिलान क्षेत्रफल कायम नहीं किया गया। मिलान क्षेत्रफल संवत –2041 से 2060 संलग्न वादपत्र है। यह कि मुताबिक जमाबन्दी संवत– 2073 - 2076 ग्राम–रनोदिया, पटवार क्षेत्र–रनोदिया, भू0अभि0नि0क्षेत्र–बिनायका, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. में हाल ख0न0 559 रकबा 0.59 है0, भूमि जो कि वादीगण के पिता की मृत्यु के बाद वर्तमान राजस्व रिकार्ड में वादीगण के खातेदारी व

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

कब्जा काश्त में दर्ज है। यह कि ग्राम–रनोदिया, पटवार क्षेत्र–रनोदिया, भू0अभि0नि0क्षेत्र–बिनायका, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. में हाल ख0न0 559 रकबा 0.59 है0 मौका अनुसार 0.81 है0, भूमि तथा हाल ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 में से 1.60 है0 पर काबिज काश्त है जो कि वर्तमान राजस्व रिकार्ड में प्रतिवादी के खाते में दर्ज है जो कि वादीगण के खाते की आराजी है जिसको सेटलमेन्ट द्वारा प्रतिवादी के खाते दर्ज कर दिया है। उपरोक्त वाद पत्र की मद न0 1 ता 6 में वर्णित आराजी को वादपत्र की आगे की मदों में विवादित आराजी कहा गया है। यह कि विवादित आराजी सेटलमेन्ट से पूर्व खसरा नम्बर–215 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर–1036/670 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 2.41 है0 था जो कि बाद सेटलमेन्ट 2041– 2060 हाल ख0न0 559 रकबा 0.59 है0, दर्ज करते हुए सेटलमेन्ट द्वारा वादीगण का रकबा 1.82 है0 कम दर्ज किया गया है। विवादित आराजी का तुलनात्मक विवरण *"ANNEXURE–A"* में वादपत्र के साथ संलग्न है। यह कि विवादित आराजी सेटलमेन्ट द्वारा पूर्व सेटलमेन्ट गत रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 2.42 है0 की तुलना में रकबा–0.59 है0 दर्ज करते हुऐ वादीगण का रकबा 1.82 है0 कम दर्ज कर दिया है तथा वादीगण की आराजी को गत हाल नक्शा मौका अनुसार प्रतिवादी के खाते में सिवायचक दर्ज कर दिया है। सेटलमेन्ट को वादीगण की आराजी का रकबा बिना किसी अधिकार व आधार के कम करते हुये प्रतिवादी के खाते दर्ज करने का कोई अधिकार नहीं था। सेटलमेंट द्वारा उक्त कृत्य अपनी अधिकारिता से परे जाकर बिना किसी सक्षम आदेश के बिना किसी अधिकार के अवैधानिक रूप से किया गया है। इस कारण वादीगण को अधिकार प्राप्त है कि वह सेटलमेंट की त्रुटि को दुरूस्त करवाये तथा वादीगण के ख0न0 559 रकबा 0.59 है0, में सेटलमेन्ट द्वारा कमी रकबे की पूर्ति करवा कर ख0न0 559 का रकबा 0.59 के स्थान पर 0.81 है0 दर्ज करवाये तथा प्रतिवादी के खाते दर्ज हाल ख0न0 445 रकबा–1.21 है0 ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 में से 1.60 है0 भूमि को अपने खाते दर्ज करवाये, इस हेतु वादीगण इन्द्राज दुरूस्ती करवाते हुये विवादित आराजी का रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 2.42 है0 भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। यह कि विवादित आराजी पर वादीगण का कब्जा काश्त पूर्व सेटलमेंट अनुसार चला आ रहा है किन्तु सेटलमेंट द्वारा वादीगण की भूमि रकबा कम दर्ज करते हुए प्रतिवादी के खाते में दर्ज कर दिया है इस कारण वादीगण को काफी परेशानी का सामना करना पड रहा है। इस कारण वादीगण ने प्रतिवादी से कई मर्तबा निवेदन करने पर भी प्रतिवादी वादीगण का रकबा दुरूस्त नहीं कर रहा है तथा वादीगण का रकबा कम दर्ज होने की आड में प्रतिवादी के प्रतिनिधि वादीगण की शांतिपूर्ण काश्त

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

में बाधाएं डालते रहते हैं इस कारण माननीय न्यायालय में वाद प्रस्तुत करना आवश्यक हो गया है। यह कि विवादित आराजी वादीगण के खातेदारी व कब्जा काश्त की आराजी है जिस पर वादीगण का कब्जा काश्त सेटलमेन्ट के पूर्व के अनुसार 15 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 2.42 है0 भूमि पर ही चला आ रहा है किन्तु बाद सेटलमेन्ट वादीगण का रकबा कम हो जाने के कारण प्रतिवादी विवादित आराजी में वादीगण के शांति पूर्ण कब्जा काश्त में मदाखलत व मजाहमत करता रहता है वादीगण द्वारा प्रतिवादी से दिनांक– 15/07/2021 को विवादित आराजी को खातेदारी में दर्ज करने का निवेदन किया तो प्रतिवादी ने वादीगण को विवादित आराजी पर से बेदखल करने व खुर्द–बुर्द करने की धमकी दी। प्रतिवादी विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने पर तथा वादीगण को बेदखल करने पर आमादा है तथा वादीगण के शान्तिपूर्ण कब्जा काश्त में आये दिन मदाखलत व मजाहमत करता रहता है। इस कारण वादीगण के लिए आवश्यक हो गया है कि वह प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द करवाये। यह कि प्रतिवादी राजस्थान लैण्ड होल्डर होने से पक्षकार बनाया गया है प्रतिवादी राजस्थान राज्य का विधिक प्रतिनिधि है जिनके विरूद्व वाद लाने हेतु 80 सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत मियादी 60 दिवसीय नोटिस दिया जाना आवश्यक है किन्तु वाद की आवश्यक प्रकृति को देखते हुये वाद 80(2) सी.पी.सी. के प्रावधानों के तहत प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र बाबत अनुमति संलग्न वादपत्र है। यह कि वाद कारण विवादित आराजी पर वादीगण के द्वारा कई मर्तबा निवेदन करने के उपरान्त भी प्रतिवादी वादीगण का रकबा दुरूस्त नहीं करने तथा वादीगण का रकबा कम दर्ज होने के कारण प्रतिवादी द्वारा विवादित आराजी को खुर्द–बुर्द करने व वादीगण को विवादित आराजी पर से बेदखल करने की धमकी देने पर दिनांक–15/07/2021 को उत्पन्न हुआ। यह कि वाद का श्रवणाधिकार व क्षेत्राधिकार माननीय न्यायालय को प्राप्त है। यह कि वाद उचित कोर्ट फीस पर अवधि मध्य प्रस्तुत है। अतः वाद प्रस्तुत कर निवेदन है कि वादीगण के पक्ष में तथा प्रतिवादी के विरूद्व निम्न आशय की डिक्री पारित फरमायी जावे कि –कि सेटलमेन्ट द्वारा वादीगण के खाते में की गयी त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर कमी रकबे की पूर्ति प्रतिवादी के खाते से की जाकर विवादित आराजी ग्राम–रनोदिया, पटवार क्षेत्र रनोदिया, भू0अभि0नि0 क्षेत्र बिनायका, तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज. में हाल ख0न0 559 का रकबा 0.81 है0 तथा हाल ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 में से 1.60 है0 भूमि अर्थात पूर्व सेटलमेन्ट रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 2.42 है0 भूमि को वादीगण के खाते दर्ज किया जावे। यह है कि वादीगण को ग्राम–रनोदिया, पटवार क्षेत्र–रनोदिया, भू0 अभि0नि0 क्षेत्र–बिनायका, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. में हाल ख0न0 559 का रकबा 0.81

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

है0 तथा हाल ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 में से 1.60 है0 भूमि अर्थात पूर्व सेटलमेन्ट रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 2.42 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जावे तथा उसका राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। यह कि प्रतिवादी को स्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वह न तो स्वयं न ही अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से विवादित आराजी ग्राम–रनोदिया, पटवार क्षेत्र–रनोदिया, भू0अभि0नि0क्षेत्र–बिनायका, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. में हाल ख0न0 559 का रकबा 0.81 है0 तथा हाल ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 में से 1.60 है0 भूमि अर्थात पूर्व सेटलमेन्ट रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 2.42 है0 भूमि में वादीगण के शांतिपूर्ण कब्जा काश्त में किसी प्रकार की मदाखलत मजाहमत नहीं करे तथा विवादित आराजी को किसी भी प्रकार से खुर्द–बुर्द आदि तथा वादीगण को विवादित आराजी पर से बेदखल नहीं करे। यह है कि अन्य न्यायोचित सहायता जो न्यायालय श्रीमान उचित समझे प्रदान करें।

वादी का वाद दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया प्रतिवादी द्वारा प्रकरण की जांच रिपोर्ट प्रस्तुत कर वादपत्र के कथनों को स्वीकार करते हुये कथन किया कि प्रकरण की जांच मुता0 रिकार्ड एवं मौके के अनुसार बिन्दुवार निम्न प्रकार से है–मुताबिक जमाबन्दी संवत 2073–2076 जमाबन्दी संवत 2076 (वर्ष 2019) से स्थायी के खाता सं0 89 की आराजी ख0न0 559 रकबा 0.59 है0 किस्म बारानी प्रथम खातेदार कंचन पुत्री गेन्दया हिस्स 1/3 दयाराम पुत्र गेन्दया हिस्सा 1/3 धापू पुत्री गेन्दया हिस्सा 1/3 सा0 देह रिकार्ड है। जमाबन्दी संवत 2033–36 सेटलमेन्ट से पूर्व आराजी ख0न0 215 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा खसरा संख्या 1036/670 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि उपरोक्त खातेदारान के पिता गेन्दया पुत्र घांसी के खातेदारी व कब्जा काश्त में थी। सेटलमेन्ट 2041–60 मुताबिक आराजी ख0न0 215 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा के स्थान पर नया खसरा संख्या 559 रकबा 0.59 है0 कायम किया गया मुताबिक मिलान क्षेत्रफल खसरा नम्बर 1036/670 के नये खसरा नम्बर 445 रकबा 1.21 है0 एवं 455 रकबा 1.37 है0 कायम किये गये। उपरोक्त आराजी ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 एवं ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 खाता सरकार दर्ज किये गये। मौके पर उपरोक्त आराजी ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 एवं 445 रकबा 1.21 है0 में से 0.46 है0 भूमि पर वादीगण दयाराम पुत्र गेन्दया, कंचन पुत्री गेन्दया, धापू पुत्री गेन्दया का कब्जा काश्त है एवं काश्त करते है। वर्तमान में भूमि आराजी ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 एंव 455 रकबा 1.37 है0 में से कुल 1.83 है0 भूमि का कब्जा वादीगण के पास होने से धारा–91 की कार्यवाही जाती है। अतः जांच रिपोर्ट श्रीमान की सेवा में अग्रिम कार्यवाही हेतु सादर पेश है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

प्रतिवादी के जवाब मौका रिपोर्ट में वादीगण के वाद के कथनों को स्वीकार किये जाने के कारण यह प्रतीत होता है कि वादीगण व प्रतिवादी के मध्य किसी विधि व किसी तथ्य के प्रश्न पर कोई विवाद नहीं है। ऐसी सूरत में वाद में कोई विवाद्यक नहीं होने के कारण वाद इसी स्तर पर निर्णित किया जाने योग्य है इस हेतु वास्ते निर्णय बहस वकील वादीगण सुनी गयी।

वकील वादीगण ने अपनी बहस में वाद के तथ्यों को दोहराया तथा कथन किया कि प्रतिवादी द्वारा वादीगण का वाद स्वीकार कर लेने में कोई आपत्ति प्रस्तुत नहीं की है। बहस अधिवक्ता एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात अनुसार मुताबिक जमाबन्दी संवत 2033 से 2036 पूर्व खसरा नम्बर–215 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा, खसरा नम्बर–1036/670 रकबा 10 बीघा कुल किता 2 कुल 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि वादीगण के पिता गेन्दया वल्द घासी कौम गूजर सा0 देह दर्ज है जिस पर इन्त0 न0 210 से खातेदारी प्राप्त ख0न0 215 रकबा 5 बीघा 1 बिस्वा पर श्रीमान जिलाधीश महोदय उपनिवेशन कोटा के अनुसार पटटा संख्या 37/7.9.80 से खसरा न0 1036/670 गैर खातेदारी से खातेदारी प्राप्त करने का नोट अंकित है जिससे प्रमाणित होता है कि वादीगण के पिता विवादित आराजी कुल 15 बीघा 1 बिस्वा भूमि के खातेदार कृषक दर्ज थे। मुताबिक मिलान क्षेत्रफल संवत 2041 से 2060 हाल ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 तथा ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 का गत ख0न0 670 मि0 से कायम होना प्रकट होता है। हाल ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 तथा ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 भूमि खाता सरकार दर्ज है। मुताबिक मौका व पटवारी रिपोर्ट आराजी ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 एवं 445 रकबा 1.21 है0 में से 0.46 है0 भूमि पर वादीगण दयाराम पुत्र गेन्दया, कंचन पुत्री गेन्दया, धापू पुत्री गेन्दया का कब्जा काश्त होने का कथन किया है। वर्तमान में आराजी ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 एवं 455 रकबा 1.37 है0 में से कुल 1.83 है0 भूमि का कब्जा वादीगण के पास होने से धारा–91 की कार्यवाही किये जाने का कथन प्रतिवादी द्वारा पटवारी रिपोर्ट में किया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजों व पटवारी रिपोर्ट के अवलोकन से प्रमाणित होता है कि वादीगण सेटलमेंट से पूर्व रकबा 15 बीघा 1 बिस्वा अर्थात 2.42 है0 भूमि का खातेदार कृषक था तथा सेटलमेन्ट के बाद वादीगण का रकबा 0.59 है0 दर्ज किया गया इस प्रकार सेटलमेन्ट द्वारा वादीगण का रकबा गत रकबे की तुलना में 1.83 है0 कम कर दिया है। सेटलमेन्ट विभाग को किसी खातेदार का रकबा कमी करने या बढाने के अधिकार नहीं होते हैं, सेटलमेंट ने वादी का रकबा गत रकबे 2.42 है0 की तुलना में रकबा 0.59 है0 दर्ज कर वादी का रकबा 1.83 है0 कम दर्ज किया है जिसकी दुरूस्ती करवाने का अधिकार वादीगण को प्राप्त है। इस प्रकार वादीगण अपना वाद सिद्ध करने में सफल रहे है तथा विवादित आराजी में सेटलमेंट द्वारा की गयी त्रुटि को दुरूस्त करवा कर सेटलमेन्ट द्वारा कमी रकबे की पूर्ति प्रतिवादी के खाते में से करवा कर करवा कर हाल ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 में से 0.46 है0 कुल 1.83 है0 भूमि

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

को अपने खाते दर्ज करवाने अर्थात कुल भूमि 2.42 है0 भूमि पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा करवाने के अधिकारी हैं। वादीगण के खाते में सेटलमेंट के द्वारा की गयी त्रुटि दुरूस्त किये जाने योग्य है। वादीगण अपने राजस्व रिकार्ड में किये गये त्रुटिपूर्ण अंकन व तरमीमों को दुरूस्त करवाने का अधिकार रखते है इस प्रकार वादीगण अपने वाद को सिद्ध करने में सफल रहे हैं। अतः ऐसी स्थिति में वादीगण का वाद स्वीकार किये जाने योग्य है।

कियात्मक आदेश

अतः वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी ग्राम–रनोदिया, पटवार क्षेत्र–रनोदिया, भू0 अभि0नि0 क्षेत्र–विनायका, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. में ख0न0 559 रकबा 0.59 हैक्टे0, ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 एवं ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 में से रकबा 0.46 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.42 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादीगण के खाते में सेटलमेंट द्वारा की गयी त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर विवादित भूमि ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 एवं ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 में से रकबा 0.46 है0 कुल 1.83 है0 भूमि को वादीगण के खाते में दर्ज किया जावे, उसका राजस्व रिकार्ड में मौकानुसार नक्शा तरमीम कर पूर्वानुसार रकबा दुरूस्त किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे।

निर्णय आज दिनांक–10/08/2023 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा जिला कोटा

"1"

मूल वाद में डिक्री

आ0 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी इटावा जिला कोटा राज0

बउनवान

(1.) दयाराम पुत्र श्री गेन्दया, जाति–गूजर, निवासी–रनोदिया, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(2.) कंचन पुत्री श्री गेन्दया, जाति–गूजर, निवासी–रनोदिया, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(3.) धापू पुत्री श्री गेन्दया, जाति–गूजर, निवासी–रनोदिया, तहसील–पीपल्दा, जिला– कोटा, राज.

(वादीगण)

बनाम

राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार तहसील पीपल्दा, जिला कोटा राज.

(प्रतिवादी)

वाद अर्न्तगत धारा– 88,89,188 आर. टी. एक्ट

मिसल नं0 64 / 2021

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिलाल कतई रूबरू बहाजिरी वादी व मिनजानिब मुददई पेश होकर हुक्त दिया जाता है कि– वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी वाद वादीगण स्वीकार किया जाकर वादीगण को विवादित आराजी ग्राम–रनोदिया, पटवार क्षेत्र–रनोदिया, भू0 अभि0नि0क्षेत्र–बिनायका, तहसील–पीपल्दा, जिला–कोटा राज. में ख0न0 559 रकबा 0.59 है0, ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 एवं ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 में से रकबा 0.46 है0 कुल किता 3 कुल रकबा 2.42 है0 भूमि का खातेदार कृषक घोषित किया जाता है। वादीगण के खाते में सेटलमेंट द्वारा की गयी त्रुटि को दुरूस्त किया जाकर विवादित भूमि ख0न0 455 रकबा 1.37 है0 एवं ख0न0 445 रकबा 1.21 है0 में से रकबा 0.46 है0 कुल 1.83 है0 भूमि को वादीगण के खाते में दर्ज किया जावे, उसका राजस्व रिकार्ड में मौकानुसार नक्शा तरमीम कर पूर्वानुसार रकबा दुरूस्त किया जाकर तदनुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद किया जावे। **तदनुसार डिक्री जारी की जाती है।**

मेरे दस्तखत व मोहर से आज **10.08.2023** को जारी किया जाता है।

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा

मिलान स्टाम्प	अर्जी दावा		स्टाम्प अर्जी दावा		
मुद्दई	रूपये	पैसे	मुदालयह	रूपये	रूपये
स्टाम्प वकालतनामा	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
स्टाम्प वजूह सबूत	0	0	स्टाम्प अर्जी	0	0
मेहनताना वकील	0	0	मेहनताना वकील	0	0
खर्चा गवाहान	0	0	खर्चा गवाहान	0	0
बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0	बाबत इजराय हुक्मनामा	0	0
मुत0	0	0	मुत0	0	0
मिलान	0	0	मिलान	0	0

उपखण्ड अधिकारी
इटावा

उपखण्ड अधिकारी
इटावा, जिला कोटा